भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 304

02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : किसानों के लिए राहत योजनाओं का कार्यान्वयन

304. श्री मनोज कुमारः

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान बिहार और महाराष्ट्र में बाढ़, सूखे और कीट हमलों से प्रभावित किसानों के लिए राहत योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, वितरित और उपयोग की गई कुल निधि कितनी है;

(ग) क्या सरकार को राज्य में इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राहत निधि की अनियमितताओं, विलंब या दुरुपयोग की कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रभावित किसानों को राहत सहायता का समय पर और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का राहत निधि प्रवाह पर दृष्टि रखने और भविष्य में फर्जी या दोहरी लाभार्थी प्रविष्टियों को रोकने के लिए कोई डिजिटल या रीयल टाइम निगरानी प्रणाली शुरू करने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, अपने पास पहले से उपलब्ध राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और आवश्यक लॉजिस्टिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) द्वारा दौरा आधारित मूल्यांकन भी शामिल है।

बिहार और महाराष्ट्र राज्यों को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	**पिछले पांच वर्षों में एसडीआरएफ (केंद्रीय हिस्सा + राज्य हिस्सा) के अंतर्गत आवंटित/जारी धनराशि (करोड़ रुपये में)**				
वर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
बिहार	1510.40	1586.40	1664.80	1748.00	1836.00#
महाराष्ट्र	3436.80	3608.80	3788.80	3978.40	4176.80

आवंटित कुल 1836.00 करोड़ रुपये में से, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 688.40 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त जारी की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में एनडीआरएफ के तहत बिहार राज्य को 1038.96 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 1056.39 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को सूखे, ओलावृष्टि, कीटों के हमले और शीत लहर/पारा के मद्देनजर राहत उपायों की निगरानी और समन्वय का दायित्व सौंपा गया है। सूखे की प्रभावी निगरानी और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2009 में सूखा प्रबंधन नियमावली प्रकाशित की गई थी। आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, इस नियमावली को दिसंबर, 2016 में संशोधित/अद्यतन किया गया था।

(ग) एवं (घ): जैसा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचित किया गया है, वर्ष 2023-24 के दौरान राहत निधि के वितरण के लिए तहसीलदार के लॉगिन क्रेडेंशियल के दुरुपयोग के संबंध में अनियमितताएं देखी गईं।

जालना के कलेक्टर ने तीन सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया था। जालना जिले के दो तालुकाओं की जाँच के बाद, समिति ने कलेक्टर को एक प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पाया गया कि तहसीलदार के लॉगिन क्रेडेंशियल का दुरुपयोग किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति संभाजीनगर संभाग के संभागीय आयुक्त को जालना जिले की सभी शिकायतों की जाँच करने का निर्देश दिया था। डिप्टी कलेक्टर (ईजीएस) की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति द्वारा कलेक्टर को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर, 21 ग्राम राजस्व अधिकारियों (तलाथियों)/राजस्व लिपिकों को पहले ही निलंबित कर दिया गया है और 36 ग्राम राजस्व अधिकारियों (तलाथियों), 17 ग्राम पंचायत अधिकारियों (ग्राम सेवक) और 2 कृषि सहायकों के खिलाफ विभागीय जाँच शुरू की गई है।

बिहार राज्य सरकार द्वारा कोई शिकायत/अनियमितता की सूचना नहीं दी गई है।

(ड.): सूखा नियमावली के प्रावधान 3.6 के अनुसार, राज्य सरकारों को एनडीआरएफ से केंद्रीय सहायता प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के भीतर प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी का वितरण सुनिश्चित करना अपेक्षित है। राज्यों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लाभार्थियों को निधि अंतरण की प्रक्रिया में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाए।

*****